न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/169 **दायरा दिनांक : 06.10.2023**

उनवान

1. मोहनलाल आत्मज ऊंकारलाल, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
2. श्रीमती कन्या बाई पुत्री ऊंकारलाल, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. महावीर आत्मज नन्दा नाई, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
   - 1/1. किशोरीबाई आयु 35 साल विधवा पत्नी महावीर, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
   - 1/2. दीपक आयु 06 साल आत्मज महावीर, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0) नाबालिग जर्ये वली माता किशोरीबाई आयु 35 साल विधवा पत्नी महावीर, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
   - 1/3. मेघा आयु 12 साल पुत्री महावीर, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0) नाबालिग जर्ये वली माता किशोरीबाई आयु 35 साल विधवा पत्नी महावीर, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
2. श्रीमती मांगीबाई पुत्री मोहनलाल नाई, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
3. श्रीमती जानकीबाई पुत्री मोहनलाल नाई, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
4. श्रीमती धापूबाई पुत्री मोहनलाल नाई, जाति नाई, निवासी पिपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
5. प्रभू लाल आत्मज ऊंकारलाल गुसाई, निवासी अरोलिया, तहसील पचपहाड
6. हरबंश सिंह आत्मज ज्ञान सिंह सलूजा, जाति सिक्ख, निवासी रामगंजमण्डी
7. उदयराम आत्मज गेन्दीलाल जाट, निवासी सातलखेडी, तहसील रामगंजमण्डी
8. श्रीमती शशि सिंघानिया बेवा भगवान प्रसाद महाजन, निवासी शास्त्री नगर नीमच
9. अमित आत्मज भगवान प्रसाद महाजन, निवासी शास्त्री नगर नीमच
10. सुमित आत्मज भगवान प्रसाद महाजन, निवासी शास्त्री नगर नीमच
11. श्रीमती सुनिति पुत्री भगवान प्रसाद महाजन, निवासी शास्त्री नगर नीमच
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अमितोषाचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 से 1/3, श्री वीरेन्द्र सिंह सोनगरा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 5, व श्री तंवरसिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 8, 11 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय दिनांक : 21.02.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 30/दावा/2014 केम्प पीपल्या निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पीपल्या, तहसील पचपहाड जमाबंदी 169 पर आराजी खसरा नम्बर 688 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नम्बर 800 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नम्बर 807 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 809 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 811 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 812 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 919 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 920 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नम्बर 922 रकबा 3.03 बीघा, खसरा नम्बर 927 रकबा 5.09 बीघा, खसरा नम्बर 1371 रकबा 2.12 बीघा, खसरा नम्बर 812/1526 रकबा 0.19 बीघा कुल 12 किता कुल रकबा 18.15 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 से वाद वादीगण अस्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम पीपल्या, तहसील पचपहाड में पैत्रक सम्पत्ति के रूप में 18 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित रहीं है जो भैरू नाई के नाम पर दर्ज रही है। भैरू नाई के दो पुत्र घीसा एवं ऊंकार रहे हैं। राजशाही के जमाने में फौतीइंतकाल बडे पुत्र के नाम ही खोला जाता था इसलिए भैरू नाई की मृत्यु के बाद उसके बडे पुत्र घीसा नाई के नाम इन्तकाल खोला गया, जबकि इस आराजी में घीसा व उसके छोटे भाई ऊंकार का भी 1/2 हिस्सा रहा है तथा मौके पर बाद बंटवारा दोनों अपने अपने हिस्से पर निरन्तर शांतिपूर्वक साधिकार काबिज चले आ रहे हैं। घीसा की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल उसके पुत्र नन्दा के नाम खोला गया। नन्दा की मृत्यु के बाद इन्तकाल अपीलांट मोहनलाल व उसके भाई महावीर वगैरा के नाम दर्ज हुआ। चूंकि आराजी जो नन्दा के नाम थी इसलिए सहवन से मोहनलाल अपीलांट के पिता का नाम नन्दा दर्ज कर दिया गया, क्योंकि यह आराजी जो पैत्रक थी मोहनलाल का भी 1/2 हिस्सा था। वादी अपीलांट ने आराजी को पैत्रक मानकर बंटवारे कर दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे विधिक जांच किये सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय न्याय, विधान व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का दावा रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की तलबी के स्तर पर ही था जिसे बिना जांच (अन्वीक्षा) किये खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। निर्ण्य जैर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील Gyptic है। अधीनस्थ न्यायालय ने Resjudicata के सिद्धांत को समझने में भूल की है। जिस पूर्व निर्णय के आधार पर तलबी प्रतिवादीगण के स्तर पर वाद अपीलांट/वादीगण खारिज कर प्रकिया संबंधी भारी भूल हुई है। जिस पूर्व निर्णय के आधार पर दावा अपीलांट खारिज किया गया है उसकी अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। अपीलांट/वादीगण को पूर्व निर्णय के खण्डन का अवसर भी प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। पूर्व निर्णय की प्रकृति एवं पक्षकारान भी भिन्न भिन्न होते हुए तथा दोनों दावों में चाही गई रीलीफ भी भिन्न होते हुए दावा अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भी समय न देकर प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांत को नजर अन्दाज कर भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 अपास्त कर प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.08.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और यह कथन किया कि भैरू लाल के दो बेटे घीसा और औंकार थे। सम्पूर्ण आराजी बडा बेटा होने के कारण बडे बेटे के नाम खाते में दर्ज हो गई, जबकि वादग्रस्त आराजी में दोनों का 1/2–1/2 हिस्सा होना चाहिए तथा मौके पर दोनों 1/2, 1/2 पर ही काबिज काश्त है। पूर्व का निर्णय जो बता रहे हैं वह भूमि भिन्न है, खसरा नम्बरान भिन्न है। केवल निर्णय की फोटो प्रति पेश की है जिसे प्रदर्श नहीं करवाया गया। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय की अपील रेवेन्यु बोर्ड में जैरकार है, जिसके बाबत दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने गलत अपील पेश की है। इस वादग्रस्त आराजी के बाबत पूर्व निर्णय दिनांक 06.07.2015 को हो चुका है। दिनांक 06.07.2015 के निर्णय की अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में होने पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.12.2015 को पारित किया है। दोनों दावों में आराजी समान है तथा पक्षकारान भी समान है। अतः अपील खारिज की जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर यह कथन किया कि ग्राम पीपल्या, तहसील पचपहाड की जमाबंदी 379 के खसरा नम्बर 688, 800, 807, 809, 811, 812/1526 कुल किता 7 कुल रकबा 6.15 बीघा आराजी का अकेले वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाये तथा प्रतिवादीगण का नाम खाते से कम करते हुए प्रतिवादी 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उपरोक्त वर्णित आराजी पर बेजा मदाखलत व मजाहमत ना स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त विवादित आराजी को खुर्द बुर्द न करें, इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.06.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2016 को आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपल्या में वादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 23/2014 उनवान महावीर बनाम मोहनलाल वगैरहा निर्णय दिनांक 06.07.2015 की छाया प्रति तथा प्रार्थना पत्र के आधार पर वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा वादीगण की सहमति के बिना एवं उभयपक्ष के मध्य समझौता कराये बिना ही यह निर्णय पारित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 23/2014 उनवानी महावीर बनाम मोहनलाल वगैरहा निर्णय दिनांक 06.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के अवलोकन से पाया गया कि इस वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का निर्णय उक्त वाद के निर्णय में हो चुका है। इसलिए अब इस वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी पर पुनः निर्णय किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः वाद वादी खारिज योग्य होने से अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित यह निर्णय लोक अदालत की भावना और विधिक प्रावधानों के विपरीत है। लोक अदालत में केवल उन्हीं विवादों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें उभयपक्ष की आपसी सहमति हो। उभयपक्ष की सहमति को व्यक्त करने वाला लिखित सहमति समझौता प्रस्ताव स्वयं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उभय पक्षकारों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसे विधिवत रूप से तस्दीक करने के पश्चात ही समझौता प्रस्ताव के अनुसार लोक अदालत में निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा धारा 11 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पेज नम्बर 117 पर प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत एक सामान्य प्रार्थना पत्र सलंग्न है, जिसमें प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने की मांग की है। इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपल्या में वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर वादी का वाद खारिज किया है, जो लोक अदालत की भावना एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादीगण को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई करने के पश्चात् पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा